

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2020-2022 में काउंसलिंग से संबंधित सूचना

अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग हेतु आवश्यक निर्देश-

1. काउंसलिंग कि तिथि - 11.02.2021 एवं 12.02.2021 है।

महत्वपूर्ण सूचना-

1. काउंसलिंग के आधार पर नामांकन का दावा मान्य नहीं है।
2. वैसे आवेदक जिनका नामांकन हेतु प्रथम एवं द्वितीय सूची में नाम अंकित था, परंतु उन्होंने नामांकन नहीं कराया है, वे काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे।
3. काउंसलिंग के लिए वह अभ्यर्थी संस्थान में नहीं आएँ जिन्होंने इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान/वाणिज्य/उर्दू की परीक्षा 21 जनवरी 2020 के बाद उत्तीर्ण की हो।
4. काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी अपने साथ CLC/SLC की मूल प्रति अवश्य रूप से लाएँ। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
5. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान(Science) विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु कला(Arts) विषय का चुनाव किया है या जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा कला(Arts) विषय से उत्तीर्ण किया है और नामांकन हेतु विज्ञान(Science) विषय का चुनाव किया है, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी।

Sr. No.	Category	Arts/Commerce/Urdu Cut-Off in Percentage (%)
1.	UR	71.7 से 66.7
2.	UR (F)	71.6 से 65.6
3.	UR (Urdu)	69.915 से 62.915
4.	EBC (Urdu)	69.29 से 62.29
5.	EWS	68.04 से 62.04
6.	EWS (F)	67.2 से 62.02
7.	BC	71.3 से 66.3
8.	BC (F)	70.1 से 65.1
9.	EBC	70.3 से 65.3
10.	EBC (F)	70.2 से 65.2
11.	SC	67.0 से 62.0
12.	SC (F)	66.9 से 61.9
13.	ST	63.4 से 53.4

2. अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है-

- आवेदक द्वारा किए गए Online आवेदन की मूल प्रति।
 - मैट्रिक/मध्यमा/फौकानिया का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
 - इण्टरमीडिएट/मौलवी का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र।
 - विद्यालय/महाविद्यालय मूल परित्याग प्रमाण पत्र। (CLC/SLC)
 - आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण कोटि हेतु)।
 - निःशक्तता प्रमाण पत्र (दिव्यांग कोटि हेतु)।
 - सामान्य 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु मूल प्रमाण पत्र (अद्यतन)।
 - नवीनतम फोटो 5 प्रति (पासपोर्ट साइज)।
 - सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (तीन प्रतियाँ में)। दो फाइल बाँधने वाला, एक फाइल में तीनों छायाप्रति एवं एक फाइल में सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ।
3. निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग नहीं कराने, अपेक्षित प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता या किसी भी प्रमाण पत्र की अवैधता की स्थिति एवं निर्धारित की गयी तिथि को उपस्थित नहीं होने पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा।
 4. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने के उपरांत नामांकन हेतु औपबधिक सूची तैयार की जाएगी।

प्र0 प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डाइट) लखीसराय
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
लखीसराय